आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :विन्ध्याचल,जनपद :सोनभद्र,तहसील :घोरावल
वाद संख्या :-RST/4329/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T20221660304329
शुभराजी मेमोरियल ट्रस्ट घोरावल बजरिए ट्रस्टी शैलेन्द्र कुमार बनाम राज्य
अन्तर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम धरसड़ा

निर्णय

यह वाद शुभराजी मेमोरियल ट्रस्ट घोरावल बजरिए ट्रस्टी शैलेन्द्र कुमार पुत्र जवाहर प्रसाद दूबे निवासी घोरावल परगना बड़हर तहसील घोरावल जिला सोनभद्र द्वारा उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत योजित किया गया है। वाद पत्र में कहा गया है कि वादी खतौनी सन 1425–1430 फसली खाता संख्या–00046 आ0नं0 235 रकबा 1.4320हे0 में से रकबा 0.1260हे0 स्थित मौजा धरसड़ा परगना बड़हर तहसील घोरावल सोनभद्र का संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार है। वादी द्वारा आराजी सिंचाई पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। प्रयोजन आवासीय व व्यवसायिक है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, सहखातेदारों का सहमति पत्र, कम्प्यूटराईज्ड उद्धरण खतौनी, खसरा, आकार पत्र 41,45 व नजरी नक्शा के साथ स्थल का प्रमाणित फोटोग्राफ दाखिल किया है।

नियमानुसार वाद योजित कर प्रकरण में तहसीलदार घोरावल सोनभद्र से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, घोरावल द्वारा प्रेषित अपने जाँच दिनांक:18.08.2022 में उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त भूमि खाता सं0–00046 आराजी संख्या–235 रकबा 0.1260हे0 स्थित मौजा धरसड़ा परगना बड़हर तहसील घोरावल सोनभद्र पर वादी द्वारा आवासीय व व्यवसायिक रूप में उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान खतौनी में उपरोक्त भूमि शुभराजी मेमोरियल ट्रस्ट के रूप में दर्ज है। आ0प0–45 के खाता संख्या–58 में उपरोक्त आराजी रूद्रप्रसाद पुत्र रामगोविन्द के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। तहसीलदार घोरावल द्वारा उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की गयी है। नियमानुसार निर्धारित दर से उद्घोषणा शुल्क जमा किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार घोरावल की आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना विधिक प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी शुभराजी मेमोरियल ट्रस्ट घोरावल बजरिए ट्रस्टी शैलेन्द्र कुमार पुत्र जवाहर प्रसाद दूबे निवासी घोरावल परगना बड़हर तहसील घोरावल जिला सोनभद्र बाबत ग्राम धरसड़ा के खतौनी सन फसली 1425 से 1430 के खाता सं0–00046 आराजी संख्या–235 रकबा 0.1260हे0 मु0 राजस्व पत्ता खाता को भू राजस्व से मुक्त करते हुये अकृषिक प्रयोजन की भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार घोरावल की आख्या आदेश का अंग होगा। तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हेतु परवाना जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार की जाये।

दिनांक–

12/6/2023

(रमेश कुमार)
उप जिलाधिकारी / अ0कले0प्रथम श्रेणी,
घोरावल–सोनभद्र।

पृष्ठ संख्या :